भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 301 गुरूवार, 08 दिसम्बर, 2022/17 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पर्यटको को आकर्षित करने के लिए कदम उठाया जाना 301. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्यः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) को ओर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या-क्या नए कदम उठाए गए हैं या कौन-कौन सी नई योजनाएं लागू की गई हैं;
- (ख) सरकार द्वारा एनईआर में पर्यटन स्थलों की स्वच्छता, राज्यों के बीच निर्बाध यात्रा और आधुनिक सुविधाओं के साथ मूलभूत अवसंरचना के संबंध में किस तरह की योजना पर विचार किया गया है; और
- (ग) पर्यटकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) के लिए ऑनलाइन संवर्द्धन को शामिल करने और योजना के अंतर्गत अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाने के लिए बाजार विकास सहायता योजना को संशोधित किया गया है। मंत्रालय उत्तर-पूर्वी राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, जिसमें पर्यटन अवसंरचना के विकास, मेलों/त्योहारों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं, प्रचार अभियानों, मानव संसाधन विकास, बाजार अन्संधान आदि के लिए सहायता देना शामिल है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय नियमित रूप से पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों/आयोजनों में भी सहयोग करता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 'डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट' कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। (ख): मंत्रालय की स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के अंतर्गत उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 27 स्वच्छता संबंधी गतिविधियां शुरू की गई हैं। उत्तर-पूर्व क्षेत्र क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को सुगम/बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई आरसीएस उड़ान योजना का फोकस क्षेत्र है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 18 रूट प्रचालनरत हैं। रेल मंत्रालय ने गेज परिवर्तन, विस्टा डोम कोचों की शुरूआत और स्टेशनों के उन्नयन के माध्यम से उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अपने बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाया है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने 22 दर्शनीय स्थलों पर 'उत्तर-पूर्व क्षेत्र में व्यूपॉइंट का विकास' परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है।

(ग): मंत्रालय ने 25 पर्यटक स्थलों को चिन्हित किया है और उनकी एक सूची अग्रेषित की है, जिन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक अलग पुलिस इकाई के गठन के लिए पायलट परियोजना के रूप में शामिल किया जा सकता है। मंत्रालय ने 12 भाषाओं में 24x7 बहुभाषी पर्यटक सूचना हेल्पलाइन भी स्थापित की है। पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन हेतु आचार संहिता को अपनाया गया है। मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में दिनांक 19.10.2022 को पर्यटक पुलिस योजना पर डीजीपी का एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया है।
